मु० फ्री नगर
15.12.15

CPIO

सेवा में

निदेशक
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
कल्याणपुर, कानपुर

विषय – जनसूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

महोदय

प्रार्थी रु 10/- मात्र का पोस्टल आर्डर नं 34 F 607368 दिनांक 11.12.15 जनसूचना शुल्क के रूप में जमा करते हुए निवेदन है कि कृपया निम्न बिन्दुओं पर निर्धारित समय सीमा में सूचनायें उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(1) स्टाफ के वेतन रजिस्टर कितने समय तक सुरक्षित रखे जाते हैं, क्या यह रिकार्ड स्थाई प्रकार का है ~~(……)~~

(2) किस वर्ष तक के वेतन रजिस्टर आपके कार्यालय में उपलब्ध हैं

(3) मेरी सेवा अवधि 1.11.58 से 30.7.68 तक है, मुझे दिये गये वेतन का विवरण भी जनसूचना द्वारा उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(4) भारत सरकार में ग्रेच्युटी के भुगतान करने के क्या नियम है, कितनी सेवा अवधि पूर्ण होने पर ग्रेच्युटी देय होती है, नियम सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराने की कष्ट करें।

(5) मेरी सेवा अवधि लगभग दस वर्ष की है, क्या उस समय के नियमों के अनुसार मुझे ग्रेच्युटी देय है, यदि हाँ तो मुझे अब तक इसका भुगतान कर दिया जायेगा।

(6) मेरे भविष्य निधि (G.P.F.) एकाउन्ट को बन्द करवाया, क्या उसका अन्तिम भुगतान मुझे कर दिया गया है।

Contd Page 2

Cashier may please deposite RTI fee Rs 10/-

APIO to provide available information ASAP

486
18.12.15

DDO/OS(E)/AC

PAGE No
DATE: / / 20

(7) यदि हाँ तो कितनी धनराशि तथा किस वाउचर नम्बर से।
(8) यदि नहीं किया गया है तो पी.पी.एफ का भुगतान न किए जाने का कारण और अब कब तक पी.पी.एफ की धनराशि ब्याज सहित भुगतान कर दी जायेगी

धन्यवाद सहित

संलग्न : पोस्टल आर्डर नं 34F 607868
दिनांक 11.12.15

प्रार्थी
Mahesh Kumar Sanghi
(महेश कुमार संघी)
मकान नं. 204, गली नं. 22
गांधी कॉलोनी
मुजफ्फरनगर 251001।

प्रतिलिपि केन्द्रीय सूचना आयुक्त, केन्द्रीय जन सूचना आयोग, द्वितल, अगस्त क्रान्ति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम नई दिल्ली को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रार्थी

(महेश कुमार संघी)
मकान नं. 204, गली नं. 22
गांधी कॉलोनी
मुजफ्फरनगर 251001

फाइल संख्या- 25(52)/2015/RTI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एक आई०एस०ओ० 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512) 2570541, 2570543

फैक्स : (0512) 2570247

ई–मेल : nsikanpur@nic.in

कानपुर, दि० 14.01.2016

जारी
संख्या ...
दिनांक 15/1/16

सेवा में,

श्री महेश कुमार सांघी,
मकान नं0 204, गली नं0 22,
गांधी कोलोनी,
मुजफ्फर नगर–251001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के संदर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 15.12.2015 को मांगी गयीं सूचना के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है, कि:–

1. Department of Administrative Reforms & Public Grivances के द्वारा अधिसूचित 'Record Retention Schedule in respect of records- column-2, all Ministries/Department-2012' के अनुसार 'वेतन बिल / Pay Bill Register C-20 category में आता है। इसके अनुसार इन रिकार्डस को रखने की समय–सीमा 20 वर्ष है। अतः यह रिकार्ड 'स्थायी प्रकार का' नही है। इसी संदर्भ में इनके Destruction of Office Records Connected with Accounts में भी इसकी न्यूनतम सीमा 20 वर्ष निर्धारित की गयी है।
2. आज की तिथि में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार–निम्नलिखित वर्षो के वेतन बिल रजिस्टर उपलब्ध है:–

Group 'A'& 'B'

Sl. No.	Period	
	From	To
1.	1984	1992
2.	1996	Till now

Group 'C'

Sl. No.	Period	
	From	To
1.	1981	1989
2.	1991	1992
3.	1993	2000
4.	2005	Till now

Group 'D'

Sl. No.	Period	
	From	To
1.	1983	1993
2.	1995	Till now

3. इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से यह कही भी उद्धृत नही होता है कि आप इस संस्थान में कार्यरत थे अथवा नहीं। इसी संदर्भ में यह भी सूचित किया जाता है कि वेतन सम्बन्धी कोई भी विवरण कर्मचारी की सेवा पंजिका में अंकित कर सत्यापित कर दिया जाता है, तत्पश्चात् यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य सरकारी, अर्ध–सरकारी, राज्य सरकार इत्यादि किसी भी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है तो उस परिस्थिति में उसकी सेवा पंजिका, सेवा सत्यापित करने के उपरान्त उसके नये कार्यालय को हस्तांतरित कर दी जाती है। जिसकी कोई भी प्रतिलिपि पूर्व नियोक्ता के पास नही उपलब्ध होती है।

अतः आप से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण यह इंगित नही होता है कि आप इस संस्थान में कार्यरत थे अथवा नही, साथ ही इसी कारण आपके वेतन विवरण के विषय में लगभग 47 वर्ष के बाद, यह सूचना दे पाना सम्भव नही है।

4. चूँकि Gratuity के संदर्भ में नियमावली Deparment of Pension & Pensioners Welfare, Lok Nayak Bhawan, New Delhi के द्वारा तय की जाती है अतः मांगी गई जानकारी हेतु उपरोक्त कार्यालय के CPIO को निम्न पते पर आपका यह प्रश्न हस्तांतरित किया गया है।

Shri Manoj Kumar,Under Secretary & CPIO, Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension & Pensioner Welfare, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.

5. क्रम सं0 3 पर दिये गये जबाब के अनुक्रम में यह पुनः सूचित किया जाता है कि चूँकि इस संदर्भ में आप से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नही है और न ही आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया है, अतः अभिलेखों के अभाव में सूचना अनुपलब्ध मानी जाए।

6 से 8:–

क्रम सं0 3 पर दिये गये जबाब के अनुक्रम में यह पुनः सूचित किया जाता है कि आपसे सम्बन्धित अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण इस प्रश्न का उत्तर दे पाना सम्भव नही है।

उपरोक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 5(4) के अनुसार दी जा रही है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त मांगी गई जानकारी से संतुष्ट नही है तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते है:–

श्री नरेंद्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
कानपुर–208017

भवदीय

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

No. 25(52)/2014/RTI

NATIONAL SUGAR INSTITUTE

AN ISO 9001:2008 Certified Institute

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

Department of Food & Public Distribution

(Government of India)

Phone : (0512) 2570541, 2570543

FAX : 0512-2570247

Email : nsikanpur@nic.in

Kanpur, Dt.: 14.01.2016

To,

Shri Manoj Kumar,
Under Secretary and
Nodal Central Public Informatin Officer (RTI),
Minsitry of Personnel, Public Grievances and Pensions,
Department of Pension and Pensioner Welfare,
Lok Nayak Bhawan,
New Delhi

Sub: Forwarding of application under RTI Act-2005, Rule 6(3) of Shri M. K Sanghi.

Sir,

With reference to the above subject it is informed that on receipt of RTI request dated 15.12.2015 (copy enclosed) from the applicant Shri M. K. Sanghi, the information related to this Institute was provided by the undersigned directly to him on 15.01.2016.

Since the applicant in his application at Sl. No. 4 & 5 (copy enclosed) has also sought the information related to 'The Rules applicable for Gratuity during 1968', the same is being transferred to the extent applicable to your department under Section-6(3) read with Section-11 of RTI Act-2005. You are requested to provide the information directly to the applicant under intimation to this Office.

Yours faithfully

Encl: As above

(Rakesh Shukla)
Senior Administrative Officer

Copy to Shri M. K. Sanghi, House No. 204, Gali No.-22, Gandhi Colony, Muzaffar Nagar-251001.

Registered

दिनांक 12/02/2016

सेवा में

श्री [illegible] सिंह
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
कानपुर 208017

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपील

महोदय

श्री [illegible] शुक्ला वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 25(22)/2015-16/1377 दि. 15.1.16 द्वारा जो उत्तर दिया गया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बिन्दु 1 के उत्तर में जो कहा गया है कि Pay Bill Register को रखने की अवधि 20 वर्ष है वह उचित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति 22/23 वर्ष की आयु में service प्रारम्भ करेगा वह कम से कम 35/37 वर्ष service करेगा। अतः Pay Bill Register को 20 वर्ष के बाद नष्ट किया जाना संभव नहीं है, सही सूचना दिलवाने की कृपा करें,

उपरोक्त कारणों से बिन्दु 2, 3 व 5 के दिये गये उत्तर भी उचित नहीं हैं, सही सूचना दिलवाने की कृपा करें।

बिन्दु 6 के [illegible] जो आदेश [illegible] के बारे में भी दी गई सूचना भ्रामक है, मेरी जानकारी के अनुसार G.P.F. का Record स्थायी प्रकार का है, अतः निवेदन है कि Provident Fund Organisation, Regional Office, Sarvodaya Nagar Kanpur से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

आपकी सुविधा के लिये मैं अपने पूरे सेवा काल की अवधि की G.P.F. Contribution के विवरण की सूची संलग्न कर रहा हूँ।

मैंने श्री शुक्ला से अपने Registered Letter दि. 26.10.15 के द्वारा अनुरोध किया था कि Rehabilitation Committee Report भी एक Permanent Record है और Institute Library में उपलब्ध

Cont Page 2.

479
16/2/16

Date: / / /

होना चाहिए था, जो अवलोकन करने का कष्ट करें किन्तु इस सम्बन्ध में श्री उन्होंने कुछ स्पष्ट किया है, जैसे इसमें uneconomic Sugar factories के मजदूर और balancing के plans work out किये थे और इसके अवलोकन से शायद न्याय संतुष्ट हो जाये कि मैं वास्तव में Institute service में था।

मैं कथन पत्र के साथ Notary के द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कि मैं November 1958 से July 1968 तक National Sugar Institute व Regional Labour Institute में कार्यरत रहा तथा सर्टिफिकेट लेटर्स व कटौतियों की सूची संलग्न कर प्रेषित कर रहा हूँ।

ये सब तथ्य आपको Final Decision लेने में मददगार होंगे।

अतः निवेदन है कि कृपया निर्धारित समय सीमा में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीय

Mahesh Kumar Sanghi

(Mahesh Kumar Sanghi)

House No 204

Lane No 22

Gandhi Colony

Muzaffarnagar 251001

संलग्नक

(1) C.P.F. statement

(2) Affidavit (3 pages)

(3) Salary Record (5 pages)

RTI MATTER/BY SPEED POST

संख्या 25(52)/2015/RTI/41

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एकआई0एस0ओ0 9001:2008 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512)2570575
फैक्स : (0512)2570247
ई मेल : nsikanpur@nic.in

कानपुर, दिनांक: 30.03.2016

जारी
संख्या 753
दिनांक 01/4/16

सेवा में,
श्री महेश कुमार सांघी,
म0 नं0 204, गली नं0—22,
गाँधी कालोनी,
मुजफ्फर नगर—251001

विषयः जनसूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत माँगी गयी सूचना के प्रथम अपील के सन्दर्भ में।

महोदय,

यह आदेश आपकी प्रथम अपील के सन्दर्भ में पारित किया जाता है। जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आपके द्वारा माँगी गयी मूल सूचना के सन्दर्भ में इस कार्यालय से प्राप्त उत्तर दिनांक 15—01—2016 के विरूद्ध की गयी अपील के विषय में निम्नलिखित सूचित किया जाता है :

मूल प्रश्न—1 स्टाफ के वेतन रजिस्टर कितने समय तक सुरक्षित रखे जाते हैं क्या यह रिकार्ड स्थायी प्रकार का है।

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचनाः—

Department of Administrative Reforms & Public Grievances के द्वारा अधिसूचित Record Retention Schedule in respect of records- column-2, all Ministries/Department-2012 के अनुसार वेतन बिल/Pay Bill Register C-20 category में आता है। इसके अनुसार इन रिकार्ड्स को रखने की समय—सीमा 20 वर्ष है। अतः यह रिकार्ड स्थायी प्रकार का नहीं है। इसी संदर्भ में इनके Destruction of Office Records Connected with Accounts में भी इसकी न्यूनतम सीमा 20 वर्ष निर्धारित की गयी है।

मूल प्रश्न—1 पर अपील में उठाए बिन्दु :

"श्री राकेश शुक्ला, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के पत्र संख्या 25(52)/2015/RTI दिनांक 14 01 2016 द्वारा जो उत्तर दिया गया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बिन्दु 1 के उत्तर में जो कहा गया है कि Pay Bill Register को रखने की अवधि 20 वर्ष है, वह उचित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति 22/23 वर्ष की आयु में service शुरू करेगा, वह कम से कम 36/37 वर्ष service करेगा। अतः Pay Bill Register को 20 वर्ष के बाद नष्ट किया जाना संभव नहीं है। सही सूचना भिजवाने की कृपा करें।"

मूल प्रश्न—1 पर अधोहस्ताक्षरी एवं अपीलीय अधिकारी का निर्णय :—

बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा आपको दी गयी सूचना नियमानुसार है। आपका यह कथन कि Pay Bill Register को रखने की अवधि 20 वर्ष उचित नहीं है, के सन्दर्भ में आपके इस कथन में सूचना की व्याख्या की अपेक्षा है, जो जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की परिभाषा में नहीं आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता कि ऐसी जानकारी दें जिससे कि निष्कर्ष एवं अनुमान निकालने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता हो।

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु सं0 1 के सन्दर्भ में दी गयी सूचना भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित नियम के क्रम में/अनुसार एवं उसी के अनुपालन में दी गयी है।

अतः आपके इस बिन्दु पर दी गयी सूचना पूर्ण एवं नियमानुसार है।

मूल प्रश्न–2 किस वर्ष तक के वेतन रजिस्टर आपके कार्यालय में उपलब्ध हैं:–

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना:–

आज की तिथि में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित वर्षों के वेतन बिल रजिस्टर उपलब्ध हैं:–

Group "A" & "B"

Sl. No	Period	
	From	To
1	1984	1992
2	1996	Till now

Group "C"

Sl. No	Period	
	From	To
1	1981	1989
2	1991	1992
3	1993	2000
4	2005	Till now

Group "D"

Sl. No	Period	
	From	To
1	1983	1993
2	1995	Till now

मूल प्रश्न 2 पर अपील में उठाए बिन्दु :

"अपील में बिन्दु संख्या–एक के अनुक्रम में बिन्दु संख्या–2,3,व 5 के दिये गए उत्तर भी उचित नहीं है, सही सूचना भिजवाने की कृपा करें।"

मूल प्रश्न–2 पर अधोहस्ताक्षरी एवं अपीलीय अधिकारी का निर्णय :

आपके इस बिन्दु पर केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना पूर्ण है, एवं इसके अलावा अन्य कोई विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

मूल प्रश्न 3 मेरी सेवा अवधि 01–11–1958 से 30–7–1968 तक है। मुझे दिए गए वेतन का विवरण भी जन सूचना द्वारा उपलब्ध कराने की कृपा करें।

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना:

इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से यह कहीं भी उद्धृत नहीं होता है कि आप इस संस्थान में कार्यरत थे अथवा नहीं। इसी सन्दर्भ में यह भी सूचित किया जाता है कि वेतन सम्बन्धी कोई भी विवरण कर्मचारी की सेवा पंजिका में अंकित कर सत्यापित कर दिया जाता है, तत्पश्चात् यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य सरकारी, अर्ध–सरकारी, राज्य सरकार इत्यादि किसी भी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है तो उस परिस्थिति में उसकी सेवा पंजिका, सेवा सत्यापित करने के उपरान्त उसके नये कार्यालय को हस्तांतरित कर दी जाती है। जिसकी कोई भी प्रतिलिपि पूर्व नियोक्ता के पास नहीं उपलब्ध होती है।

अतः आपसे सम्बन्धित किसी भी अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण यह इंगित नहीं होता है कि आप इस संस्थान में कार्यरत थे अथवा नहीं। साथ ही इसी कारण आपके वेतन विवरण के विषय में लगभग 47 वर्ष के बाद यह सूचना दे पाना सम्भव नहीं है।

मूल प्रश्न–3 पर अपील में उठाए बिन्दु :–

"अपील में बिन्दु संख्या–एक के अनुक्रम में बिन्दु संख्या–2, 3 व 5 के दिये गए उत्तर भी उचित नहीं है, सही सूचना भिजवाने की कृपा करें।"

मूल प्रश्न–3 पर अधोहस्ताक्षरी एवं अपीलीय अधिकारी का निर्णय :–

आपके इस बिन्दु पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना पूर्ण है एवं इसके अलावा अन्य कोई विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

मूल प्रश्न–5–मेरी सेवा अवधि लगभग दस वर्ष की है, क्या उस समय के नियमों के अनुसार मुझे ग्रेच्युटी देय है, यदि हाँ तो मुझे कब तक इसका भुगतान कर दिया जाएगा।

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना–

क्र0 सं0 3 पर दिये गये जवाब के अनुक्रम में यह पुनः सूचित किया जाता है कि चूँकि इस संदर्भ में आपसे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और न ही आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया है, अतः अभिलेखों के अभाव में सूचना अनुपलब्ध मानी जाए।

मूल प्रश्न–5 पर अपील में उठाए बिन्दु :– "अपील में बिन्दु संख्या–एक के अनुक्रम में बिन्दु संख्या–2,3,व 5 के दिये गए उत्तर भी उचित नहीं है, सही सूचना भिजवाने की कृपा करें।"

मूल प्रश्न–5 पर अधोहस्ताक्षरी एवं अपीलीय अधिकारी का निर्णय :–

इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि आप इस संस्थान में कार्यरत थे अथवा नहीं। वेतन सम्बन्धी सभी विवरण कर्मचारी की सेवा–पंजिका में अंकित कर सत्यापित कर दिया जाता है। तत्पश्चात यदि कोई कर्मचारी इस संस्थान को छोड़कर किसी अन्य सरकारी, अर्ध–सरकारी, राज्य सरकार इत्यादि के किसी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है, तो उस स्थिति में उसकी सेवा–पंजिका सेवा स्थानान्तरण के पश्चात उसके नये कार्यालय को प्रेषित कर दी जाती है, जिसकी प्रतिलिपि पूर्व नियोक्ता के पास नहीं रखी जाती। अतः आपसे सम्बन्धित अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण यह किसी स्तर पर स्पष्ट नहीं होता है कि आप इस संस्थान में कार्यरत थे अथवा नहीं। इसी कारण आपके वेतन विवरण के विषय में आपके द्वारा संस्थान को 1965 में छोड़ने के लगभग 47 वर्षों के बाद यह सूचना दे पाना सम्भव नहीं है।

आपके द्वारा अपील के साथ लगाए गए किसी भी दस्तावेज से आपके इस कार्यालय/संस्थान में संलग्न होने की पुष्टि नहीं होती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपके इस बिन्दु पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना पूर्ण है एवं इसके अलावा अन्य कोई विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

मूल प्रश्न–6 मेरे भविष्य निधि (जीपीएफ) अकाउन्ट का नम्बर क्या था, क्या उसका अंतिम भुगतान मुझे कर दिया गया है।

मूल प्रश्न–7– यदि हाँ तो कितनी धनराशि तथा किस वाउचर नम्बर से,

मूल प्रश्न–8– यदि नहीं किया गया है तो जी पी एफ का भुगतान न किए जाने का कारण और अब कब तक जी पी एफ की धनराशि अर्जित ब्याज सहित भुगतान कर दी जाएगी।

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा मूल प्रश्न– 6 से 8 पर दी गयी सूचना–

क्रम संख्या–3 पर दिए गए जवाब के अनुक्रम में यह पुनः सूचित किया जाता है कि आपसे सम्बन्धित अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण इस प्रश्न का उत्तर दे पाना संभव नहीं है।

मूल प्रश्न–6 से 8 पर पर अपील में उठाए बिन्दु :–

"बिन्दु–6 से 8 तक जो भविष्य निधि से सम्बन्धित है के बारे में भी दी गई सूचना भ्रामक है. मेरी जानकारी के अनुसार जी पी एफ का रिकार्ड स्थायी प्रकार का है। अतः निवेदन है कि Provident Fund Organisation, Regional Office, Sarwodaya Nagar, Kanpur से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपकी सुविधा के लिए मैं अपने पूरे सेवा काल की अवधि की जी पी एफ contribution के विवरण की सूची संलग्न कर रहा हूँ।

मैंने श्री शुक्ला से अपने रजिस्टर्ड लेटर दिनांक 28–10–2015 के द्वारा अनुरोध किया था कि Rehabilitation Committee Report, जो एक Permanent Record है और Institute Library में उपलब्ध होनी चाहिए का अवलोकन करने का कष्ट करें किन्तु इस सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ स्पष्ट किया है। मैंने इसके Uneconomic Sugar Factories के merger और balancing के plans work out किए थे और इसके अवलोकन से शायद आप संतुष्ट हो जाएं कि मैं वास्तव में Institute Service में था।

मैं इस पत्र के साथ Notary के द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कि मैं November 1958 से July 1968 तक National Sugar Institute व Regional Labour Institute में कार्यरत था तथा आहरित वेतन व कटौतियों की सूची संलग्न कर प्रेषित कर रहा हूँ।

ये सब तथ्य आपको Final Decision लेने में मददगार होंगे।

अतः निवेदन है कि कृपया निर्धारित समय सीमा में सूचनाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें।"

मूल प्रश्न– 6,7,8 पर अधोहस्ताक्षरी एवं अपीलीय अधिकारी का निर्णय :–

आपके द्वारा अपील के साथ लगाए गए किसी भी दस्तावेज से आपके इस कार्यालय में कार्यरत होने सम्बन्धी किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही दिए गए विवरण में आपके specific GPF/CPF एकाउण्ट नम्बर आदि के अभाव में एवं कार्यालय में तत्कालीन अभिलेखों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के द्वारा दी गयी सूचना से सहमत हैं एवं दी गयी सूचना को पूर्ण मानते हैं एवं यह भी सूचित करते हैं कि दी गयी सूचना पूर्ण है एवं इसके अलावा अन्य कोई विवरण कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

यह आदेश कानपुर में दिनांक 30.03.2016 को दिया गया है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो आप केन्द्रीय सूचना आयोग में इस निर्णय की तिथि या इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अन्दर निम्न पते पर अपील कर सकते है :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
कमरा नं0–326, द्वितीय तल,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली–110066।

भवदीय

(नरेन्द्र मोहन)
निदेशक एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी